

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक—465/2013

संस्थित दिनांक—12.06.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

अजय कुमार पिता रामप्रसाद बैरागी, उम्र 28 वर्ष,

निवासी—वार्ड नं. 14, बारापत्थर बैहर, थाना बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—22/12/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा—34(1)(क) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—130(3)/177, 66/192 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—04.05.2013 को रात 11:00 बजे मेन रोड रानी दुर्गावती चौक गढ़ी थाना क्षेत्र में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के वाहन जीप क्रमांक—एम.पी.21/ए.2929 में शराब बियर हेवर्डस 650 मि.ली. 24 नग, बियर हेवर्डस 5000 325 मि.ली. 24 नग, गोवा विस्की 180 मि.ली. 24 नग, मैगडावल रम 180 मि.ली. 24 नग, रायल स्टेज 90 मि.ली. 24 नग, बेगपाईपर 90 मि.ली. 24 नग, जुमला कुल कीमत 33,640/—रुपये रखा तथा मौके पर उक्त वाहन के कागजात नहीं रखे तथा वाहन को बिना परमिट के व्यावसायिक उपयोग किया।

2— संक्षेप में अभियोजन का सार इस प्रकार है कि थाना गढ़ी के सहायक उपनिरीक्षक जी.एल.चौधरी को दिनांक—04.05.2013 को गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आरोपी अपने बैहर से गढ़ी अवैध शराब लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षियों के साथ मौके पर जाकर घेराबंदी किया गया, जहां रात्रि करीब 23:00 बजे गढ़ी की ओर आती हुई एक जीप को रोककर उसके चालक से पूछताछ कर जीप की तलाशी ली गई, जिसमें जीप में अवैध अंग्रेजी शराब बियर हेवर्डस 650 मि.ली. 24 नग, बियर हेवर्डस 5000 325 मि.ली. 24 नग, गोवा विस्की 180 मि.ली. 24 नग, मैगडावल रम 180 मि.ली. 24 नग, रायल स्टेज 90 मि.ली. 24 नग, बेगपाईपर 90 मि.ली. 24 नग, जुमला कुल कीमत 33,640/—रुपये रखा अवैध रूप से रखी पायी गई। उक्त मदिरा रखने के संबंध में लायसेंस मांगे जाने पर

आरोपी ने लायसेंस न होना बताया। आरोपी द्वारा मौके पर उक्त वाहन के दस्तावेज आर.सी.बुक, इंश्योसेंस, बीमा आदि भी पेश नहीं किया गया। आरोपी से उक्त मदिरा एवं वाहन जप्त किया गया। सहायक उपनिरीक्षक द्वारा थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-23/2013, धारा-34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं धारा-130(3)/177, 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गये, आरोपी से जप्तशुदा मदिरा का परीक्षण कराया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

3- आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1)(क) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177, 66/192 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04.05.2013 को रात 11:00 बजे मेर रोड रानी दुर्गावती चौक गढ़ी थाना क्षेत्र में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के वाहन जीप क्रमांक-एम.पी.21/ए.2929 में शराब बियर हेवर्ड्स 650 मि.ली. 24 नग, बियर हेवर्ड्स 5000 325 मि.ली. 24 नग, गोवा विस्की 180 मि.ली. 24 नग, मैगडावल रम 180 मि.ली. 24 नग, रायल स्टेज 90 मि.ली. 24 नग, बेगपार्डपर 90 मि.ली. 24 नग, जुमला कुल कीमत 33,640/-रुपये रखे थे।
2. क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर अपने उक्त वाहन के कोई कागजात नहीं रखे थे ?
3. क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर उक्त वाहन का परमिट न होते हुये उसका व्यावसायिक उपयोग किया?

#### विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5- जी.एल.चौधरी (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.05.2013 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह हमराह स्टाफ के साथ गश्ती पर गढ़ी रवाना हुआ था। गश्ती के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अजय बैहर से अंग्रेजी शराब लेकर गढ़ी आ रहा है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ तथा साक्षी प्रदीप उर्फ गुड्डु एवं अंकित ठाकुर के साथ रानी दुर्गावती चौक गढ़ी में पहुंचकर घेराबंदी किया गया। रात्रि करीब 23:00 बजे एक पुरानी जीप बैहर से गढ़ी तरफ आयी, जिसे रोककर उसके द्वारा चालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना अजय बैरागी बैहर निवासी होना तथा वाहन

में अंग्रेजी शराब होना बताया था। उक्त शराब रखने के संबंध में आरोपी ने लायसेंस न होना बताया था। उसके द्वारा आरोपी से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 के अनुसार अवैध अंग्रेजी शराब कुल मात्रा 36.360 लीटर एवं एक जीप क्रमांक-एम.पी. 21/ए.2929 चालू हालत में तथा आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-23/2013, धारा-34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं धारा-130(3)/177, 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रदर्श पी-7 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने मौके पर वाहन के दस्तावेज आर.सी.बुक, इंश्योरेंस, फिटनेस और परमिट पेश नहीं किया था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षी प्रदीप उर्फ गुड्डु एवं अंकित के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। आरोपी से जप्तशुदा शराब को परीक्षण हेतु आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बैहर को भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। उक्त दिनांक का रवानगी एवं वापसी सान्हा क्रमांक-97 एवं 100 दिनांक-04.05.2013 है, जिसकी सत्य प्रतिलिपि चालान के साथ संलग्न किया गया है।

6- उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आबकारी उपनिरीक्षक को जांच हेतु भेजे गये प्रतिवेदन की प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जांच प्रतिवेदन के अनुसार अलग-अलग प्रकार की शराब की सिर्फ 10 बोतल का ही परीक्षण किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को साक्ष्य में प्रमाणित करने का प्रयास किया है, किन्तु साक्षी ने जप्ती अधिकारी के रूप में जप्त द्रव्य पदार्थ को मौके पर सीलबंद कर तथा साक्षियों के समक्ष जप्तशुदा तरल पदार्थ में से नमूना हेतु कथित जप्त बोतलों को जांच हेतु अलग से सीलबंद कर भेजे जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। मामले की प्रकृति के अनुसार अन्य स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य भी महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है, क्योंकि इस साक्षी के द्वारा मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही के साथ प्राथमिकी दर्ज किये जाने की भी कार्यवाही अकेले की गई है।

7- आबकारी उपनिरीक्षक अशोक कुमार माहोरे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.05.2013 को बैहर आबकारी वृत्त पूर्व में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक-23/2013 में जप्त मदिरा जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिसका उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। उसके द्वारा जप्तशुदा मदिरा का परीक्षण किया गया था, जिसमें नीला लिटमस पेपर डुबाने पर उसका रंग अप्रभावी रहा। उसके द्वारा जांच के पश्चात् सभी बोतलों को अपनी हस्ताक्षर युक्त पर्ची से सील कर आरक्षक सोनसिंह परते को सौंप दिया गया था। उसके मतानुसार सभी बोतलों का द्रव्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा होना पाया था। उक्त जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मदिरा की जांच हेतु सैम्पल किससे प्राप्त किया, इसका उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सभी बोतले एक कार्टून में सीलबंद होकर नहीं आयी थी। स्वतः कथन है कि सभी बोतले अलग-अलग सीलबंद होकर आयी थी। यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने सैम्पल जांच हेतु कथित बोतले सीलबंद आने के कथन किये हैं, किन्तु जप्ती अधिकारी व अनुसंधानकर्ता ने अपनी साक्ष्य में सैम्पल वाली बोतलों को सीलबंद हालत में जांच हेतु भेजे जाने के कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किये हैं और न ही सीलबंद किये जाने का कोई पंचनामा तैयार किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसने जांच हेतु सैम्पल में प्राप्त बोतलों में तरल पदार्थ को भारत निर्मित विदेशी मदिरा के रूप में पाये जाने की जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। यद्यपि इस साक्षी के कथन से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी से जप्तशुदा तरल पदार्थ को ही उसके पास अनुसंधानकर्ता के द्वारा विधिवत् सीलबंद कर जांच हेतु भेजा गया था।

9— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी के रूप में प्रदीप उर्फ गुड्डु (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को वह अपने रिश्तेदार अंकित कि साथ आर.डी.चौक गढ़ी में खड़ा था तो पुलिसवालों ने उनके सामने आरोपी से पूछताछ की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसी समय आरोपी से पुरानी जीप, डायविंग लायसेंस एवं शराब जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उससे थाने में कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा उस समय आरोपी उपस्थित नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी के रूप में अंकित (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। वह वर्ष 2013 में रिश्तेदार प्रदीप के घर गया था, जब वह प्रदीप की दुकान में बैठा था तो पुलिस ने उसे थाना गढ़ी में बुलाकर यह कहते हुये कि प्रदीप नहीं है तो तुम हस्ताक्षर कर दो, तो उसने हस्ताक्षर कर दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को वह प्रदीप के साथ आर.डी.चौक गढ़ी में खड़ा था तो पुलिसवालों ने उनके सामने आरोपी से पूछताछ की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसी समय आरोपी से पुरानी जीप,



डायविंग लायसेंस एवं शराब जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उससे थाने में कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा उस समय आरोपी उपस्थित नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

11— प्रकरण में अभियोजन की ओर से एकमात्र साक्षी जी.एल.चौधरी (अ.सा.4) ने ही अभियोजन का जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही का समर्थन किया है। यद्यपि इस जप्ती अधिकारी के द्वारा मामले में जप्ती पंचनामा तैयार करना, आरोपी को गिरफ्तार करना, साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर प्राथमिकी दर्ज किया जाना प्रकट किया है। उक्त जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई उक्त कार्यवाहियों का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। जप्ती अधिकारी ने कथित कार्यवाही के समय उक्त स्वतंत्र साक्षीगण को हमराह लिये जाने या मौके पर उपस्थित होने के संबंध में साक्ष्य में खुलासा नहीं किया है। इस प्रकार एकमात्र जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा नहीं किया गया होने और उसकी कार्यवाही में निष्पक्षता, पारदर्शिता के संबंध में संदेह प्रकट होने के कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट हो जाता है।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जी.एल.चौधरी (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के आधिपत्य से पुरानी जीप क्रमांक-एम.पी.21/ए.2929 को जप्त किया जाना प्रकट किया है, किन्तु साक्ष्य में यह भी बताया है कि आरोपी के पास आर.सी.बुक, फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं था। उक्त तथ्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। बचाव पक्ष ने साक्ष्य के दौरान वाहन का परमिट भी पेश नहीं किया है। अतएव यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी ने उक्त वाहन के मौके पर दस्तावेज पेश नहीं किये। आरोपी को उक्त वाहन को बिना वैध परमिट के उसका व्यावसायिक उपयोग किये जाने के संबंध में इस आधार पर अभियोजित किया गया है कि उसने कथित रूप से शराब का वाहन में घटना के समय परिवहन किया था। यद्यपि आरोपी से कथित शराब की जप्ती संदेह से परे विधिवत् रूप से प्रमाणित नहीं की गई है। ऐसी दशा में कथित शराब के परिवहन के आधार पर परमिट की आवश्यकता होने या परमिट का उल्लंघन किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार केवल यह तथ्य अभियोजन की ओर से प्रमाणित होता है कि आरोपी ने कथित घटना के समय मौके पर वाहन के दस्तावेज पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये। आरोपी का उक्त कृत्य मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 की श्रेणी में आता है।

13— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में प्रतिषेधित मादक द्रव्य

वाहन जीप क्रमांक-एम.पी.21/ए.2929 में शराब बियर हेवर्डस 650 मि.ली. 24 नग, बियर हेवर्डस 5000 325 मि.ली. 24 नग, गोवा विस्की 180 मि.ली. 24 नग, मैगडावल रम 180 मि.ली. 24 नग, रायल स्टेज 90 मि.ली. 24 नग, बेगपाईपर 90 मि.ली. 24 नग, जुमला कुल कीमत 33,640/-रुपये रखा तथा वाहन को बिना परमिट के व्यावसायिक उपयोग किया। अभियोजन की ओर से मात्र यह तथ्य प्रमाणित किया गया है कि आरोपी ने मौके पर उक्त वाहन के कागजात पेश नहीं किये। अतः आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1)(क) एवं 66/192 मोटर यान अधिनियम के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14- आरोपी को मुख्य आरोप से दोषमुक्त किया गया है। ऐसी दशा में मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अपराध के अंतर्गत 100/- (एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 15 दिन का सादा कारावास भुगताया जावे।

15- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

16- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-एम.पी.21ए/2929 सुपुर्ददार सुनील सिंह की ओर से मुख्तयारआम सुनील तिवारी पिता छेदीलाल को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे।

17- प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट